



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University established by Parliament by Act No. 3 of 1997)
नैक द्वारा 'A' ग्रेड प्राप्त Accredited with 'A' Grade by NAAC

कादर नवाज़ ख़ान
कार्यकारी कुलसचिव
Kadar Nawaz Khan
Acting Registrar

दूरभाष/Phone : +91-7152-230902
फैक्स/Fax: + 91-7152-247602

क्रमांक : 006 / Admin / (1)2014/Vol-2 / 06

दिनांक : 04.01.2021

अधिसूचना

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरांत, विश्वविद्यालय में नए कार्य-परिषद के सदस्यों के माननीय कुलाध्यक्ष द्वारा नामांकन तथा नए शिक्षकों की नियुक्ति एवं कैरियर प्रोन्नयन योजनान्तर्गत एसोशिएट प्रोफेसर के पद पर उन्नयन एवं विद्यार्थी प्रतिनिधियों का एक अकादमिक वर्ष पूर्ण होने पर कार्यकाल पूर्ण होने के आलोक में भारत के राजपत्र दिनांक 25.07.2018 तथा महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के अधिनियम, 1996 (1997 का 3) के परिनियम-11 के अनुसार विश्वविद्यालय कोर्ट का पुनर्गठन निम्नानुसार किया जाता है :

पदेन सदस्य		
क्र.सं.	सदस्य विवरण	नामित व्यक्ति
(i)	कुलाधिपति	प्रो. कमलेश दत्त त्रिपाठी
(ii)	कुलपति	प्रो. रजनीश कुमार शुक्ल
(iii)	प्रतिकुलपति	प्रो. हनुमानप्रसाद शुक्ल प्रो. चंद्रकांत एस. रागीट
(iv)	कार्य-परिषद द्वारा नामित कार्य-परिषद के दो सदस्य	
विद्यापीठों के प्रतिनिधि		
(i)	कुलपति द्वारा नियुक्त दो अधिष्ठाता जिनकी नियुक्ति चक्राधार पर वरिष्ठतानुसार होगी	1. प्रो. मनोज कुमार * 2. प्रो. कृपाशंकर चौबे*
(ii)	कुलपति द्वारा नियुक्त दो विभागाध्यक्ष/केंद्र निदेशक/संस्था प्रमुख जिनकी नियुक्ति चक्राधार पर वरिष्ठतानुसार होगी	1. प्रो. एल. कारुण्यकरा 2. प्रो. विजय कुमार कौल ^
(iii)	पुस्तकालयाध्यक्ष	पुस्तकालयाध्यक्ष
(iv)	वित्ताधिकारी	वित्ताधिकारी
शैक्षिक व्यवसाय, उद्योग तथा वाणिज्य के प्रतिनिधि		
(i)	कुलाध्यक्ष द्वारा नामित छः सदस्य जिसमें एक महिला, एक विधिक सलाहकार तथा व्यवसाय, उद्योग तथा वाणिज्य क्षेत्रों में 4 सदस्य	1. प्रो. प्रमोद येवले # 2. प्रो. टी.वी. तुलसीधरण # 3. प्रो. डी. के. श्रीवास्तव # 4. प्रो. कुसुमलता केडिया # 5. श्री महालिंग मल्लिकार्जुन पंडारगे # 6. श्री रविन्द्र अशोक लोखंडे #

कादर नवाज़
14/1/21



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University established by Parliament by Act No. 3 of 1997)
नेक द्वारा 'A' ग्रेड प्राप्त Accredited with 'A' Grade by NAAC

कादर नवाज़ ख़ान
कार्यकारी कुलसचिव
Kadar Nawaz Khan
Acting Registrar

दूरभाष/Phone : +91-7152-230902
फैक्स/Fax: + 91-7152-247602

: 2 :

अन्य नामित सदस्य		
(i)	अधिष्ठाता तथा विभाग प्रमुखों को छोड़कर सभी प्रोफेसर	
(ii)	चक्राधार पर वरिष्ठता के अनुसार दो एसोसिएट प्रोफेसर तथा दो सहायक प्रोफेसर	1. डॉ. ओमप्रकाश भारती #
		2. डॉ. रविन्द्र टी. बोरकर #
		1. डॉ. अनवर अहमद सिद्दीकी #
		2. डॉ. अनिल कुमार दुबे @
(iii)	कुलपति द्वारा नामित दो विद्यार्थी प्रतिनिधि	1. श्री वैभव उपाध्याय 2. सुश्री हेमा ठाकुर
(iv)	कुलपति द्वारा नामित दो गैर-शैक्षणिक कर्मचारी	1. श्री कौशल किशोर त्रिपाठी \$
		2. सुश्री शील खांडेकर \$

- * अधिष्ठाता के रूप में अवधि पूर्ण होने तक।
दिनांक 28.05.2022 तक।
\$ दिनांक 28.05.2021 तक।
^ दिनांक 30.04.2021 को सेवानिवृत्त होने तक।
@ दिनांक 03.01.2023 तक।

पदेन सदस्यों को छोड़कर कोर्ट के समस्त सदस्यों का कार्यकाल नामांकन तिथि से 03 वर्ष होगा एवं विद्यार्थी प्रतिनिधियों का कार्यकाल नामांकन तिथि से 01 अकादमिक वर्ष तथा गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों का कार्यकाल नामांकन तिथि से 02 वर्ष का होगा।

इसे सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरांत जारी किया जाता है।

कादर नवाज़
(कादर नवाज़ ख़ान)

04/01/21

प्रति : कोर्ट के समस्त सदस्यगण।

प्रतिलिपि :

- माननीय राष्ट्रपति के सचिव, राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली।
- सचिव, शिक्षा मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग, नई दिल्ली।
- अवर सचिव (के.वि.), शिक्षा मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग, नई दिल्ली।
- सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली।
- कुलपति कार्यालय, म.गां.अं.हिं.वि., वर्धा।
- प्रतिकुलपति (द्वय) कार्यालय, म.गां.अं.हिं.वि., वर्धा।
- समस्त अधिष्ठाता, विभागाध्यक्ष, केंद्र निदेशक, क्षेत्रीय केंद्रों के अकादमिक निदेशक/प्रभारी
- कुलसचिव कार्यालय, म.गां.अं.हिं.वि., वर्धा।
- वित्त विभाग, म.गां.अं.हिं.वि., वर्धा।
- लीला विभाग विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु
- रक्षित पत्रावली।